प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

पस्थित अधिवक्तागण

1. श्री शौभाराम अहीर :– वकील वादी
2. श्री कृष्ण गौपाल अहीर :' वकील प्रतिवादी 1 से 3

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 09 /04/2018

वादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया और निवेदन किया गया कि,

1. वाके माल ग्राम लसुडिया तहसील रामगंजमंडी में जमाबंदी संख्या 64 संवत 2069–72 मे खुमानसिंह (वादी का अपभ्रंश नाम) एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 के शामलाती खते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं 15 की 0.54 हेक्टेयर, खसरा नं 38 की 0.21 हेक्टेयर, खसरा नं 38/460 की 0.02हेक्टेयर, खसरा नं 40 की 0.02 हेक्टेयर, खसरा नं 49 की 0.15 हेक्टेयर, खसरा नं 50 की 0.03 हेक्टेयर, खसरा नं 51 की 0.54 हेक्टेयर,खसरा नं 70 की 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं 184 की 0.41 हेक्टेयर, खसरा नं 185 की 0.02 हेक्टेयर, खसरा नं 186 की 1.16 हेक्टेयर, खसरा नं 189 की 0.20 हेक्टेयर खसरा नं 209 की 0.86 हेक्टेयर खसरा नं 220 की 2. 80 हेक्टेयर, खसरा नं 220/447 की 0.02 हे0 कुल किता 17 की 8 53 हे0 लगानी 170 95 रुपये दर्ज हैं।

Scanned by CamScanner

2. यह कि वाद की मद नं 1 में वर्णित आराजी सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी संख्या 54 संवत 2031–34 में खसरा नं 14 की 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं 33 की 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं 44 की 3 बिस्वा, खसरा नं 45 की 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं 89 की 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं 90 की 3 बिस्वा, खसरा नं 91 की 7बीघा 3 बिस्वा, ख0 नं 113 की 5 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं 117 की 6 बिस्वा, ख0नं 116 की 6 बीघा 6 बिस्वा,ख0 नं 124 की 17 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं 63 की 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 13 की रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा लगानी 56.92 रुपये दर्ज थी।

3. यह कि वाद–पत्र की मद नं 1 में वर्णित उक्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो वादी एवं प्रतिवादीगण 1,2,3 को जर्ये फोती इंतकाल अपने पिता से प्राप्त हुयी है तथा उक्त आराजीयात में वादी का 1/4 एवं प्रतिवादी नं 1,2,3 प्रत्येक का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 कायम है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में वर्षो से अपने अपने हिस्से अनुसार काश्तमय काबिज है एवं लगान सरकार अदा करते आ रहे है।

4. यह कि वादी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है:–

हरिसिंह मृतक

नाथुसिंह पुत्र	गुमानसिंह (अपभ्रंशनाम) (खुमानसिंह)	सुल्तानसिंह पुत्र	चन्द्रसिंह पुत्र	बेवा मृतक

ृतक खातेदार हरिसिंह के चार पुत्र वादी एवं प्रतिवादी नं 1,2,3 है हरिसिंह की बेवा की मृत्यु हो चुकी है

5. यह कि दिनांक 26/08/2015 को कृषि के उन्नत विकास के लिए किसान केडित कार्ड बनाने के लिए वादी अपने हल्का पटवारी जी के पास गया तो प्रथमबार जानकारी हुयी कि उक्तखाते में वादी का अपभ्रंश त्रुटिपूर्ण नाम खुमानसिंह दर्ज है।

6. यह कि बचपन में वादी गुमानसिंह को कुछ लोग खुमानसिंह भी कहते थे। खाते में दर्ज खुमानसिंह एवं गुमानसिंह दोनो अलग अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है जिसे खुमानसिंह एवं गुमानसिंह दोनो नामो से जाना जाता है। लेकिन मात्र सहवन से मृतक हरिसिंह के फोती इंतकाल में हल्का पटवारी जी द्वारा त्रुटिवश या भूलवश गुमानसिंह के बजाय मात्र खुमानसिंह दर्ज कर दिया गया जा एक मात्र संशोधनीय त्रुटि है व वादी वाद–पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी खते में गलत अंकित नाम खुमानसिंह खाते से खारिज कर अपने हिस्से 1/4 पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

7. यह कि वादी के समस्त राजकीय,आराजकीय दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय–पत्र स्कूल विद्यालय रिकार्ड में वोटर लिस्ट आदि सर्व दस्तावेजात में वादी का नाम गुमानसिंह आत्मज हरिसिंह ही दर्ज है।

8. यह कि तत्पश्चात दिनांक 9/1/2016 को अपने अधिवक्ता श्री शोभाराम अहीर एडवोकेट के माध्यम से एक लीगल नोटिस अन्तर्गत 80 सी0पी0सी0 श्री मान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा को उक्त वादग्रस्त भूमि को वादी के खाते नियमानुसार दर्ज करने हेतु प्रेषित कराया लेकिन नोटिस की अवधि समाप्त होने तक भी उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किया गया।

9. यह कि यदि ऐसी स्थिति मे उक्त त्रुटि दुरुस्त फरमायी जाकर उक्त वाद–पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी खाते में त्रुटिपूर्ण खुमानसिंह का नाम खाते से खारिज कर गुमानसिंह का नाम दर्ज खातेदारी नही फरमाया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रुप में संभव नहीं हो सकेगी। व वादी न्याय प्राप्त करने से महरुम रह जायेगा।

10. यह कि वादी का उक्त केस प्राईमा फेसाई है एवं सुविधाओं का संतुलन वादी के पक्ष में हैं।

11. यह कि ऐसी स्थिति में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर त्रुटिपूर्ण खुमानसिंह का नाम खाते से खारिज करवाकर खुमानसिंह के स्थान पर गुमानसिंह दर्ज करावे व नियमानुसार खाता विभाजन कराकर स्वतंत्र रुप से दखल प्राप्त करे एवं लगान भी पृथक मुकर्रर करावे।

12. यह कि वादी को वाद कारण दिनांक 26/8/2015 को हल्का पटवारीजी से खाते की नकल प्राप्त करने पर उक्त खाते मे गुमानसिंह के स्थान पर खुमानसिंह का नाम दर्ज होने की जानकारी होने एवं दिनांक 26/8/2015 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खाता अलग अलग कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं दिंनाक 9/1/2016 को उक्त इन्द्राज दुरुस्ती हेतु धारा सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित करने पर एवं नोटिस की अवधि समाप्त होने पर भी अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने पर दिनांक 9/3/2016 को उत्पन्न हुआ।

13. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लसुडिया तहसील रामगंजमण्डी में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

14. यह कि अधिकार क्षैत्र घोषणा इंद्राज दुरुस्ती हेतु 25,000/–रु0 एवं खाता विभाजन हेतु 25,000/–रु कुल 50,000/–रु0 निश्चित किया जाता है। वाद–पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

15. यह कि भूमि धारक दी स्टेट ऑफ राजस्थान होने से उसे जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है।

अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री दैर फरमायी जावेः–

Scanned by CamScanner

(अ) कि वाद–पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी खाते में त्रुटिपूर्ण दर्ज खुमानसिंह का नाम खाते से खारिज किया जाकर हिस्सा 1/4 पर वादी गुमानसिंह आत्मज हरिसिंह को खातेदार घोषित फरमाया जावे। अथवा विकल्प में निवेदन है कि गुमानसिंह उर्फ खुमानसिंह आत्मज हरिसिंह का नाम खाते दर्ज किये जाने की घोषणा फरमायी जावे।

(ब) कि समस्त खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान फरमायी जावे।

दावा वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री कृष्ण गोपाल अहीर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा एवं इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया है अतः हितबद्ध पक्षकारों की असहमति के अभाव में प्रकरण में तनकियात कायम करने का कोई खास औचित्य अवशेष नहीं रह जाता है। साक्ष्य वादी ली जाकर बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराकर वादी की संज्ञा को संशोधित करने का निवेदन किया गया। इसके साथ ही साथ विद्वान अधिवक्त प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का सगा भाई है जिसका सहवन से नाम खुमानसिंह अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर खुमानसिंह के स्थान पर गुमानसिह दर्ज कर दिया जावे तो प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आधार कार्ड नम्बर 581657630232 , निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/19/115/0522108 , जारी द्वारा निर्वाचक पजीयन अधिकारी रामगंजमण्डी , दिनॉक 15.'05.1995 , फोटो प्रति राशन कार्ड जारी द्वारा ग्राम पंचायत गौयन्दा नम्बर 00102 , मूल प्रति नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 दिनॉक 09.01.2016 ,

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के तथ्य , वॉछित अनुतोषादि , प्रतिवादीगण के जवाब आदि , तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक अनुशीलन किया गया। वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम खुमानसिंह अंकित है तथा अन्य दस्तावेजात में गुमानसिंह अंकित है। उक्त दुरुस्ती पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 जो उक्त खाते की भूमि के सहखातेदार और हितबद्व पक्षकार है को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उनका कथन है कि उक्त वादी का नाम दुरुस्त किया जावे।

ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 15, 38, 38/460, 40, 50 ,51 , 70 , 184 , 185 , 186 , 189 , 209, 212 , 213, 220 , 220/447 किता 17 रकबा 8.53 हैक्टर पर वादी का

Scanned by CamScanner

नाम खुमानसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम गुमानसिंह है। जिसे शुद्ध किया जावे। इसके समर्थन में वादी ने उपरोक्त दस्तावेजात की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की जिससे यह प्रमाणित होता है कि उसका नाम गुमानसिंह है।

प्रतिवादीगण जो कि वादगत उक्त भूमि के सहखातेदार है को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा स्वीकृति की हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 15, 38, 38/460, 40, 50 ,51 , 70 , 184 , 185 , 186 , 189 , 209, 212 , 213, 220 , 220/447 किता 17 रकबा 8.53 हैक्टर पर वादी का नाम खुमानसिंह के स्थान पर गुमानसिंह उर्फ खुमानसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनोंक ०१/04/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner